न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/110/2019	15–10–2019	23–12–2019

1. रूस्तम खां पुत्र स्व0 अमीर खां जाति मेव
2. सम्मी खां पुत्र स्व0 अमीर खां जाति मेव
3. यासीन खां पुत्र स्व0 अमीर खां जाति मेव
4. नसीब खां पुत्र स्व0 अमीर खां जाति मेव (मृतक) निवासीयान मूंगसका तहसील अलवर।

4/1.जियाउलहक पुत्र स्व0 नसीब खां जाति मेव
4/2.वजादअली पुत्र स्व0 नसीब खां जाति मेव
4/3.इन्जमाम पुत्र स्व0 नसीब खां जाति मेव निवासीयान मूंगसका तहसील अलवर
4/4.साजिदा पत्नी महमदखां पुत्री स्व0 नसीब खां जाति मेव
4/5. हरूनी पत्नी नब्बू पुत्री स्व0 नसीब खां जाति मेव
4/6.फरमीना पत्नी याकूब पुत्र स्व0 नसीब खां जाति मेव निवासी मंगली का बास करौली तहसील अलवर
4/7.जायदा पत्नी नसीम पुत्र स्व0 नसीब खां जाति मेव
4/8.सहनाज पत्नी सद्दाम पुत्री नसीब खां जाति मेव निवासीयान हाजी का बास मांचा तहसील किशनगढ बास
4/9.बसगर पत्नी आमीर सौहेल पुत्री स्व0 नसीब खां जाति मेव निवासी कृष्णा कॉलोनी खेडी रोड रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

1. मौहम्मद अजीम पुत्र हनीफ नवासा स्व0 अमीर खां जाति मेव
2. मौहम्मदशाकिर पुत्र हनीफ नवास स्व0 अमीर खां जाति मेव
3. अजीला पुत्री हनीफ नवासी स्व0 अमीर खां जाति मेव
4. असमीना पुत्री हनीफ नवासी स्व0 अमीर खां जाति मेव
5. फरमीना पुत्री हनीफ नवासी स्व0 अमीर खां जाति मेव निवासीयान मांचा तहसील किशनगढबास
6. बसकरबानो (तथाकथित बसकर) पत्नी अमरदीन खां नवासी स्व0 अमीर खां जाति मेव
7. रूकसानाबानो (तथाकथित रूकसार पुत्र) पत्नी आविदहुसैन नवासी स्व0 अमीर खां जाति मेव निवासीयान सयालकी का बास मौजपुर तहसील लक्ष्मणगढ अलवर
8. तहसीलदार अलवर जिला अलवर।

रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार अलवर जिला अलवर दिनांक 09.02.19 बाबत इंतकाल संख्या 900 वाके ग्राम मूंगसका तहसील अलवर जिला अलवर।

उपस्थितः–

1. श्री देवेन्द्र कुमार जैन — एडवोकेट अपीलांट

——:: निर्णय ::——

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार अलवर के आदेश दिनांक 09.02.18 जिसके द्वारा इंतकाल संख्या 900 वाके ग्राम मंगूसका तहसील अलवर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रैस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पा0 उपस्थित नहीं। बहस सुनी गई।

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में अकित तथ्यों को दौहराते हुयें निवेदन किया कि अपीलान्ट बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए जमाबन्दी सं0 2069–2074 ग्राम मूंगसका की नकल तहसील अलवर से प्राप्त की तो अपीलान्ट को जानकारी हुई कि अपीलान्ट की बहिन शरीफन उर्फ सरीयन जिसका देहान्त उनके पिता अमीर खां की मृत्यु के 16 वर्ष पूर्व हो चुका है अमीर खां की विरासत का इंतकाल गैर कानूनी तरीके से अपीलान्ट के साथ उनकी मृतक बहिन शरीफन के वारिसान के नाम भी दर्ज किया है जबकि उनका विवादित आराजी में कोई हित नहीं है। शरीफन उर्फ सरीयन पत्नी हनीफ पुत्र अमीर खां के रूकसार नाम का कोई लडका नहीं है बल्कि रूकसानाबानो मृतक शरीफन की पुत्री है। शरीफन के बसकर नाम की कोई पुत्री नहीं है बल्कि बसरकरबानो नाम की पुत्री है। रूकसनाबानों को रूकसार के साथ पर बसकरबानो को बसकर के स्थान पर उनके सही नाम के अनुसार उन्हें रैस्पा0 बनाया गया है। मृतक शरीफन के रूकसार नाम का पुत्र व बसकर नाम की पुत्री नहीं है। रैस्पा संख्या 3 ला. 5 पुत्रियों के साथ रूकसानाबानो व बसकरबानो पुत्री है जो रैस्पा0 संख्या 6 व 7 है, रैस्पा0 संख्या 1, 2 पुत्र व रैस्पा0 संख्या 3 ला. 7 पुत्री है जो शरीफन पत्नी हनीफ के जायज वारिसान है। मृतक अमीर खां जो कि रैस्पा0 का नाना लगता है की आराजी से रैस्पा0 का कोई संबंध व सरोकार नही है और ना ही नाना की आराजी पर उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उनका कोई हक और अधिकार बनता है। विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा और काश्त मौके पर मौजूद है। अपीलान्ट मृतक अमीर खां के जायज वारिसान है जिनके नाम विवादित इंतकाल दर्ज होकर स्वीकार होना चाहिए था लेकिन तहत अदालत ने इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया जो खारिज होने योग्य है। अपीलीय आदेश दिनांक 09.02.18 की जानकारी दिनांक 05.06.18 को राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त हुई, दिनांक 06.06.18 से 18.06.18 कानूनी जानकारी से दिनांक 09.02.18 से आज तक का समय विवादित इंतकाल की जानकारी नहीं होने में अपीलान्ट का व्यतीत हुआ है का समय माफ किया जावें। अपील दफा 5 कानून मियाद के साथ पेश की है प्रकरण में जो देरी हुई उसे कान्डोन किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील स्वीकार फरमाई जाकर तहत अदालत का अपीलीय निर्णय निरस्त किया जावें।

हमनें बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने यह अपील आदेश दिनांक 09–02–18 के विरूद्ध दिनांक 18–06–18 को पेश की है तथा अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 05–06–2018 को होना जाहिर करते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद का पेश कर विलम्ब को माफ करने का निवेदन किया है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया है कि अपीलान्ट मृतक अमीर खां के जायज वारिसान है जिनके नाम विवादित इंतकाल दर्ज होकर स्वीकार होना चाहिए था लेकिन तहत अदालत ने इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया जो खारिज होने योग्य है। अपीलान्ट के द्वारा उठाये गये तर्क पर तहत अदालत के अपीलीय निर्णय का अवलोकन किया गया मृतक अमीर खां का सजरा तैयार कर एवं पटवारी हल्का द्वारा मौका पर्चा हल्फनामा व पटवारी हल्का मांचा कि रिपोर्ट व जॉच आई0एल0आर0 के आधार पर इंतकाल स्वीकार किया गया है। अपीलान्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य पेंश नहीं किया जिससे प्रमाणित होता हो कि रैस्पा0 का विवादित आराजी पर कोई संबंध वो सरोकर नहीं हों। अपीलान्ट द्वारा अपील में उठाये गये तर्क प्रमाणित नहीं होते है। हम तहत अदालत के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज होने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति तहसीलदार अलवर को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 23–12–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर, अलवर